न्यायालय:– अपर सेशन न्यायाधीश, रावतसर, जिला–हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी – **राजन खत्री,**
(RJS, DJ Cadre)

जमानत आवेदन सीआईएस संख्या – 131/2026

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 244/2026 पुलिस थाना रावतसर

अपराध अंतर्गत धारा – 121(1), 121(2), 132, 352 बी.एन.एस.

राजेश कुमार पुत्र मनोहर लाल शर्मा, निवासी सागडा, पुलिस थाना भिरानी, हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत चक 4 डीडब्ल्यूएम, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़।

–– प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए अपर लोक अभियोजक, रावतसर।

––अप्रार्थी

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 भा0 ना0 सु0 सं0

उपस्थिति:–

01. श्री अशोक नागपाल, श्री निखलेश नागल, श्री विपिन नागल, श्री सुभाष नेहरा, अधिवक्ता – प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
02. श्री उमेश कुमार शर्मा, अपर लोक अभियोजक – राज्य की ओर से।

– आदेश– **दिनांक:– 01–06–2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 482 भा0 ना0 सु0 सं0 इस न्यायालय में प्रस्तुत हुआ, जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। केस डायरी तलब की गई। बहस सुनी गई।
2. जमानत प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी के खिलाफ परिवादी ने झूठे तथ्यों के आधार पर रंजिशवश झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी के विरुद्ध आरोपित अपराध मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है। प्रार्थी इलाका हाजा का रहने वाला है, जिसके कहीं भागने या फरार होने का कोई अंदेशा नहीं है। ना ही प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व में कोई मुकदमा दर्ज है व ना ही विचाराधीन है। प्रार्थी लोक सेवक व शांतिप्रिय व्यक्ति है। प्रार्थी अनुसंधान में सहयोग करने के लिये तत्पर है। प्रार्थी अग्रिम जमानत के संबंध में अपनी मौतबीर जमानत प्रस्तुत करने के लिये तैयार है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए।

3. उक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अपर लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोप है, इसलिए प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।
4. उभय पक्षकारान के उक्त तर्कों पर विचार किया गया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।
5. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 06–05–2026 को परिवादी श्री दिनेश चन्द्र ने एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी दिनेशचन्द्र विकास अधिकारी पंचायत समिति रावतसर में पदस्थापित है। राजेश कुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत 4 डीडब्ल्यूएम पंचायत समिति रावतसर में दिनांक 05–05–2026 को सुबह 10 बजे करीबन पंचायत समिति में उपस्थित हुआ तथा कार्यालय में आते ही बोला कि वेतन देवे। उसके द्वारा अवगत किया गया कि वह ग्राम पंचायत से अपनी उपस्थिति प्रमाणित करवा कर कार्यालय में जमा करवा देवे, उसको वेतन मिल जाएगा। जिस पर वह अभद्र भाषा का उपयोग करने लगा। जिस पर कार्यालय के अन्य कार्मिक भी वहां उपस्थित होकर उनके द्वारा रोकने पर उसके द्वारा श्री घनश्याम व अन्य के साथ मारपीट की गई तथा उसे राजकार्य करने से रोका गया....आदि। जिसके आधार पर उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाकर अनुसंधान जारी है। प्रार्थी/अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड निम्नानुसार है –

Sr. No.	FIR No. & Police Station	Under Section	Status
1–	79/24 भिरानी	323, 341, 504 आईपीसी, 3(2)(वीए) एससी/एसटी एक्ट	चालान पेश
2–	573/22 भादरा	323, 458,387, 427, 506 आईपीसी	चालान पेश
3–	225/22 भादरा	332, 353, 504 आईपीसी	चालान पेश
4–	279/16 नोहर	332, 353 आईपीसी	दोषमुक्त
5–	445/15 भादरा	323, 341 आईपीसी	–
6–	327/13 भिरानी	354, 457 आईपीसी	चालान पेश
7–	302/13 भिरानी	341, 342, 323, 325 आईपीसी	चालान पेश

8–	193/2007 भिरानी	452, 354, 323, 324, 34 आईपीसी	–
9–	108/14 भादरा	323, 327, 341 आईपीसी	–
10–	185/11 भिरानी	427, 336, 447, 506 आईपीसी	चालान पेश
11–	29/2002 भिरानी	323, 324, 325, 34 आईपीसी	चालान पेश

6. हस्तगत प्रकरण में पुलिस ने अब तक अपने अनुसंधान में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 121(1), 121(2), 132, 352 बी.एन.एस. का अपराध प्रथमदृष्ट्या प्रमाणित माना है। केस डायरी के अवलोकन से यह प्रतीत नहीं होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त को हस्तगत प्रकरण के झूठा आलिप्त किया जा रहा हो। केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध इस प्रकरण के अलावा 11 अन्य प्रकरण दर्ज होना प्रकट हुआ है, जिससे प्रार्थी/अभियुक्त एक आदतन अपराधी प्रतीत होता है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर प्रकृति के अपराध के अभियोग हैं। अतः प्रकरण की उक्त विशेष परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रकट नहीं होता है।

–: आदेश :–

7. अतः प्रार्थी/अभियुक्त **राजेश कुमार पुत्र मनोहर लाल शर्मा** की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 भा0 ना0 सु0 सं0 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(राजन खत्री)

8. आदेश आज दिनांक 01–06–2026 को मेरे अनुदेश पर लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(राजन खत्री)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.02 08:43:53 IST